भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3745
16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: नकली कीटनाशकों/खरपतवार नाशकों/उर्वरकों की आपूर्ति

3745. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कुछ कंपनियों द्वारा नकली कीटनाशक/खरपतवार-नाशक/उर्वरकों की कथित आपूर्ति के संबंध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त शिकायतों के बारे में कोई जानकारी है जिनके कारण कृषि उत्पादों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कीटनाशकों/खरपतवार-नाशकों और उर्वरकों के कितने नमूनों का परीक्षण किया गया है और इनमें से कितने नमूने मानदंडों पर खरे नहीं पाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार के पास घटिया/नकली कीटनाशकों/खरपतवार-नाशकों/उर्वरकों की बिक्री की निगरानी के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद, कीटनाशक और खरपतवार-नाशक उचित मूल्य पर प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): पौध संरक्षण, संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय (डीपीपीक्यूएंडएस) किसानों/उपभोक्ताओं और विविध राज्यों के अन्य हितधारकों से हानिकारक कीटनाशकों (वीडिसाइडस) के विनिर्माण तथा विक्रय करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त करता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

सरकार को हानिकारक उर्वरकों की आपूर्ति से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) एवं (ग): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय कीटनाशी निरीक्षणों तथा राज्य कीटनाशी निरीक्षक द्वारा विविध प्रकार के पीड़कनाशकों (खरपतवार नाशक सहित) के जांच किए गए और नकली नमूनों की संख्या और उस पर की गई कार्रवाई **अनुबंध-II** पर दी गई है। पिछले 3

वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विश्लेषित और गैर मानकीकृत घोषित उर्वरकों के नमूनों की संख्या एवं उस पर की गई कार्रवाई का वर्षवार विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

(घ) एवं (ड.): नकली पीड़कनाशकों की बिक्री रोकने तथा पीड़कनाशकों की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए केन्द्र सरकार ने कीटनाशी अधिनियम, 1968 पारित किया है। कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अनुसार पीड़कनाशकों की गुणवत्ता की निगरानी करना केन्द्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने क्रमश: 138 तथा 10905 कीटनाशी निरीक्षकों को नकली पीड़कनाशकों को बिक्री पर रोक लगाने के लिए अधिसूचित किया है। कीटनाशक नमूनों को नियमित आधार पर चयन किया जाता है तथा 69 राज्य पीड़कनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसपीटीएल) और चंडीगढ़ एवं कानपुर की 2 क्षेत्रीय पीड़कनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं में विश्लेषित किया जाता है। कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत नकली पाये गये नमूनों पर कार्रवाई की जाती है। कीटनाशी अधिनियम, 1968 में पीड़कनाशियों के मूल्यों का निर्धारण करने का प्रावधान नहीं है।

भारत सरकार ने आवश्यक जिंस अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरक को आवश्यक जिंस घोषित किया है और उर्वरकों का व्यापार मूल्य, गुणवत्ता तथा वितरण को विनियमित करने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 को प्रख्यापित किया है। एफसीओ के खंड 19 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निर्धारित मानक के अनुरुप न होने वाले किसी उर्वरक का विक्रय, विक्रय का प्रस्ताव, उत्पादन, आयात अथवा वितरण नहीं करेगा। आवश्यक जिंस अधिनियम के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधान का किसी प्रकार से उल्लंघन करने वालों पर प्रशासनिक तथा दंडात्मक दोनों प्रकार की कार्रवाई की जायेगी। इसके अतिरिक्त देश में 86 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। समय-समय पर उर्वरकों के नमूने लिए जाते हैं और उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए इन प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जाता है। भारत सरकार ने एफसीओ के अंतर्गत यूरिया का एमआरपी निर्धारित किया है और इसे सांविधिक मूल्यों के ऊपर बेचने की अनुमति नहीं है। फास्फोरस (पी) तथा पोटिशियम (के) उर्वरक सांविधिक मूल्य के अंतर्गत नहीं आते हैं लेकिन भारत सरकार राजसहायता दे रही है और मूल्यों की उपयुक्तता सुनिश्चित करती है।

अता.प्र.सं. 3745

अनुबंध-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से प्राप्त हानिकारक पीड़कनाशियों की आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त शिकायतों की सं.	विषय - वस्तु	पौध संरक्षण, संगरोध तथा भंडारण निदेशालय (डीपीपीक्यूएंडएस) द्वारा की गई कार्रवाई
2018-19				
1	महाराष्ट्र	02	अकोला में डीलर द्वारा खराब तथा हानिकारक पीड़कनाशकों की बिक्री	परिसर से केन्द्रीय कीटनाशी निरीक्षक ने 4 नमूने लिए। 3 नमूने संतोषजनक पाये गये हैं और 1 नमूना नकली पाया गया है। डीलर एवं विनिर्माणकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
			2. फर्म द्वारा बिना पंजीकृत खराब जैव पीड़कनाशकों की बिक्री	केन्द्रीय कीटनाशी निरीक्षकों की टीम ने फर्म का निरीक्षण किया और नमूने लिए थे। इसमें से 1 नमूना संतोषजनक पाया गया और अन्य नमूनों की रिपोर्ट आना बाकी है। फर्म को अपंजीकृत पीड़कनाशकों की बिक्री न करने के लिए बिक्री रोक आदेश जारी किया गया था। कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए राज्य विभाग को टीम की रिपोर्ट अग्रेषित की गई थी।
2	गुजरात	01	फर्म द्वारा खराब पीड़कनाशकों की बिक्री	शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य सरकार को निदेश दिया गया था। राज्य के कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा लिए गए नमूनों को संतोषजनक पाया गया है।
3	उत्तर प्रदेश	01	राज्य में हानिकारक खरपतवार-नाशकों की बिक्री	राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के लिए निदेश दिया गया था और जांच में यह पता चला कि शिकायताकर्ता का दावा उपयुक्त नहीं था।
4	हरियाणा	01	पलवल में	केन्द्रीय कीटनाशी निरीक्षकों की दल ने

			डीलर द्वारा नकली पीड़कनाशकों की बिक्री	कुछ पीड़कनाशकों के नमूने के लिए जो प्रयोगशाला में जांच के उपरांत संतोषजनक पाए गए।
2017-18				
1	हिमाचल प्रदेश	01	राज्य सरकार के आउटलेट द्वारा हानिकारक पीड़कनाशी की बिक्री	स्टाक, जिससे शिकायतकर्ता ने पीड़कनाशी खरीदा था, से लिए गए नमूनों की रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई और पीड़कनाशक की जांच रिपोर्ट संतोषजनक पायी गयी।
2	महाराष्ट्र	01	यावतमल में फर्म द्वारा उपमानक जैव पीड़कनाशी की बिक्री तथा उत्पादन	केन्द्रीय कीटनाशी निरीक्षकों के दल द्वारा जैव पीड़कनाशकों के नमूने लिए गए थे जिसमें से जैव पीड़कनाशकों को 2 नमूने नकली पाये गये थे और तदनुसार विनिर्माणकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु की गई थी।
2016-17				
1	महाराष्ट्र	01	अपंजीकृत जैव पीड़कनाशियों की बिक्री तथा उत्पादन	कानूनी कार्रवाई शुरु की जा रही है।
2	गुजरात	01	फर्म द्वारा उप मानक खरपतवार नाशक की बिक्री तथा उत्पादन	शिकायत गलत पाई गई थी चूंकि शिकायतकर्ता ने स्वयं लेवल तथा लिफलेट को पढ़े बिना पीड़कनाशक का उपयोग किया था और गैर सिफारिशों वाली फसलों के लिए खरपतवार नाशक का उपयोग किया था।

लो.स.अता.प्र.सं. 3745

अनुबंध-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में राज्य और केंद्रीय कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा विश्लेषण किए गए नमूनों का विवरण

वर्ष	**विश्लेषण किए गए नमूनों की सं.**	**नकली पाए गए नमूनों की सं.**	**शुरू किया गया अभियोजन**
2016-17	64101	1476	589
2017-18	65541	1594	876
2018-19	67251	1642	569
2019-20 (जुलाई, 2019 तक)	6970	135	1

लो.स.अता.प्र.सं. 3745

अनुबंध-III

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों के विश्लेषण किए गए नमूनों और गैर-मानक घोषित किए गए नमूनों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	**विश्लेषण किए गए नमूनों की सं.**	गैर-मानक घोषित किए गए नमूनों का प्रतिशत	प्रशासनिक कार्रवाई	शुरू किया गया अभियोजन
2016-17	137080	5.3	2452	52
2017-18	138602	5.1	2212	839
2018-19	107624 *	5.1	3453	521
2019-20 (जून, 2019 तक)	15145	1.7	146	43

****